Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIII (53), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

जी.एस.टी. कर संरचना: भविष्य में सुधार संभावनाओं का विवेचनात्मक अध्ययन

श्रीमती नीलम खासकलम*

* वरिष्ठ व्याख्याता (मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट) इंदिरा गांधी शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत में वस्तु एवं सेवा कर एक व्यापक बहुचरणीय, गंतव्य व उपभोग आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य वर्धन पर लगाया जाता है। विश्व में जीएसटी कर प्रणाली सर्वप्रथम वर्ष 1954 में फ्रांस द्वारा लागू किया गया। भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी एक देश, एक कर और एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। पिछली कर व्यवस्था के तहत मौजूद 17 टैक्स और 13 उपकरों को एकीकृत करके जीएसटी में समाहित कर दिया गया। अपनी प्रारम्भिक रूकावटों के बाद अब यह कर व्यवस्था, परिपक्वता एवं व्यापक सुधारों के साथ GST 2.0 के रूप में परिलक्षित हो रही है।

टैक्स इन्वॉइस, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइल करते समय पोर्टल पर प्रदर्शित अवरोधों के कारण आवश्यक औपचारिकताएँ समय पर पूर्ण नहीं हो सकी। कर संग्रहण की जटिलता, आम उपभोक्ताओं पर कर की अधिकता को कम करने के लिए GST 2.0 को सरलीकृत, सुधारात्मक, अनुकूल संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो 22 सितम्बर 2025 से प्रभावी हुए है। प्रस्तुत अध्ययन में जी.एस.टी कर संरचना का विश्लेषण किया गया है। भारत में वर्ष 1950 के बाद भारत के सबसे बड़े कराधान सुधार एवं जी एस टी के सुधारों की सम्भावनाओं पर विचारात्मक अध्ययन किया गया है। कर संरचना में भविष्य में सुधार की सम्भावनाओं को बताया गया है। इस शोधपत्र में मौजूदा साहित्य, इंटरनेट स्त्रोतों जिसमें विभिन्न लेखों, शोधों, सरकारी रिर्पोटों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, विभिन्न वेबसाइटों और इंटरनेटो पर उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग किया गया है।

शब्द कुंजी – जीएसटी कर संरचना, जीएसटी 2.0,सुधारात्मक उपाय।

प्रस्तावना – वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) को ऐतिहासिक कर सुधारों में से एक माना जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 160 देशों में पहले से ही इसे लागू किया जा चुका है। इन देशों में अधिकांश देशों ने एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का पालन किया जबकि ब्राजील, कनाडा जैसे कुछ देशों में दोहरी कर प्रणाली का पालन कियाव जहाँ केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा कर आरोपित किया जाता है।

भारत में दोहरी जीएसटी प्रणाली विद्यमान है जहाँ केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के प्रत्येक लेनदेन के कर-योग्य मूल्य पर लगाया जाता है। केन्द्रशासित प्रदेशों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़) द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को संघीय जीएसटी (UTGST)कहा जाता है। वस्तु या सेवाओं के अंतर राज्य आपूर्ति (inter state) आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी (IGST)लगाया जाता है जिसे केन्द्र द्वारा एकत्र किया जाता है।

भारत में जी एस टी संरचना – भारत में वस्तु एवं सेवा कर बहुस्तरीय संरचना है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब शामिल हैं। इसका उद्देश्य कराधान प्रणाली को सुव्यवस्थित करके देश में व्यापार की सुगमता को बढ़ाना है। व्यवसायों को अपने माल और सेवाओं के लिए लागू कर दरों का निर्धारण करने और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। जी एस टी राज्य कोड सूची की जानकारी से व्यवसायों द्वारा सटीक कर दाखिल करने के साथ अनुपालन के लिए राज्य विशिष्ट कोडों की सही पहचान में सहायक होती है। इसके साथ ही व्यवसायों को अपनी कर देनदारियों को अनुकूलित करने, बिलिंग और लेखांकन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाती है।

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें कई करों को एक एकीकृत कर प्रणाली से प्रतिस्थापित किया गया है। जीएसटी संरचना का विस्तृत विवरण यहाँ दिया गया है :

एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) – अंतरराज्यीय वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन पर लागू होता है और इसका कर-प्रवर्तन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच निर्बाध कर क्रेडिट सुनिश्चित करना, दोहरे कराधान को रोकना और राज्य सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं को निर्बाध करना है।

केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (यूटीजीएसटी) – भारत के केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता इसका कर-संग्रह केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। एसजीएसटी तरह यूटीजीएसटी भी केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन पर लगाया जाता है।

चार मुख्य कर श्रेणियों में विभाजन – भारत में जीएसटी को चार मुख्य कर श्रेणियों में विभाजित किया गया है 5%, 12%, 18%और 28% खाद्यान्न, पुस्तकें और स्वास्थ्य सेवाएँ जैसी कुछ आवश्यक वस्तुएँ जीएसटी से मुक्त है, जबकि विलासिता की वस्तुएँ और हानिकारक वस्तुओं पर उच्च कर दरें लागू होती है।

56 वीं जी एस टी परिषद की बैठक 3 सितम्बर 2025 को परिषद ने जी एस टी संरचना को चार स्लैब से दो स्तरीय संरचना में परिवर्तित कर दिया है जिसमें 18% (अधिकांश वस्तुओं व सेवाओं पर लागू) तथा 5%

(आवश्यक वस्तुओं और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए) इसके अतिरिक्त हानिकारक वस्तुओं और अति विलासिता की वस्तुओं पर 40% की दर लागू की गयी है।

कंपोजिशन स्कीम –उन छोटे व्यवसायों के लिए उपलब्धा है जिनका वार्षिक कारोबार एक निर्धारित सीमा से कम है। कंपोजिशन स्कीम चुनने वाले व्यवसाय अपने कारोबार के आधार पर एक निश्चित दर पर जीएसटी का भुगतान करते हैं और उन्हें विस्तृत रिकॉर्ड रखने और नियमित रिटर्न दाखिल करने के बोझ से मुक्ति मिल जाती है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) – जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं, जिससे वे इनपुट पर भुगतान किए गए जीएसटी को आउटपुट पर एकत्रित जीएसटी के विरुद्ध समायोजित कर सकते हैं। यह व्यवस्था कराधान के क्रमिक प्रभाव को रोक कर करदाताओं के बीच अनुपालन को प्रोत्साहित करती है।

जीएसटी अनुपालन में – इसमें जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करना, करों का भुगतान और अभिलेखों का रखरखाव जैसे विभिन्न कार्य शामिल हैं। कानूनी परिणामों और जुर्माने से बचने के लिए व्यवसायों को जीएसटी नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है।

निर्यात और आयात – वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर जीएसटी शून्य दर पर लागू होता है, अर्थात् निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। वहीं भारत में आयात पर भारत में प्रवेश के समय आईजीएसटी (आयात कर) लगता है।

जीएसटी की संरचना व्यावसायों के लिए अनुपालन सुनिश्चित करने, कर देनदारियों को अनुकूलित करने और संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है। जीएसटी नियमों और विनियमों का पालन करके, व्यवसाय कराधान प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकते हैं और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं।

जी एस टी 2.0 – जी एस टी 2.0 भारत की वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली का पुनर्गठित संस्करण है जो सरल कर श्रेणियों एवं व्यापार करने में सुगमता पर केन्द्रित है। वर्तमान बहुस्तरीय संरचना को प्रतिस्थापित कर यह नयी प्रणाली दो मुख्य श्रेणियों में समेकित है। इसके प्रतिस्थापन से करदाताओं की जटिलता कम हुई है। इस सुधार में कर प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे करों के युक्तिकरण, बेहतर अनुपालन तंत्र (Compliance Mechanism), स्वचालित सत्यापन प्रणाली और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया का सरलीकरण हुआ है। इसके परिणामस्वरूप मानवीय हस्तक्षेप में कमी, त्रुटियों में कमी व रिफंड प्रक्रिया में तेजी आयी है। जी एस टी 2.0 से उत्पाद वर्गीकरण में अस्पष्टता को दूर करने के साथ एक पारदर्शी और पूर्वानुमानित कर वातावरण के निर्माण होने से सभी हितधारकों को लाभ हुआ है।

वर्ष 2017 में जी एस टी के लागू होने के बाद से सबसे बड़ा कर सुधार जी एस टी 2.0 है जिसका उद्देश्य उत्पाद वर्गीकरण और स्लैब की प्रयोज्यता से सम्बन्धित विवादों की संख्या को कम करना है। जी एस टी 2.0 में स्लैब संरचना में परिवर्तन से आवश्यक व मानक वस्तुओं/सेवाओं के बीच स्पष्ट अंतर परिलक्षित होता है।

0% (शून्य दर) स्लैब कवरेज – जी एस टी 2.0 में किफायती और सुलभता में सुधार लाने के लिए शून्य दर श्रेणी में विस्तार किया है जिसमें जीवन रक्षक दवाएं और कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी वस्तुएं, शिक्षा सेवाएं और बीमा श्रेणियों (स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम सहित), जीवन यापन की लागत को कम करने के लिए बुनियादी खाद्य पदार्थों और आवश्यक जन कल्याणकारी वस्तुओं पर शून्य जीएसटी लागू है।

5% स्लैब कवरेज – इसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं और व्यापक उपभोग की वस्तुएँ, बुनियादी खाद्य पदार्थ और कृषि उत्पाद,स्वास्थ्य सेवाएं और शैक्षिक सामग्री सार्वजनिक परिवहन और आवश्यक सेवाओं को शामिल किया गया है।

18% स्लैब कवरेज – जी एस टी 2.0 में सामान्य उपभोग के लिए मानक वस्तुएं और सेवाए, व्यावसायिक सेवाएं, विनिर्माण इनपुट और मध्यवर्ती वस्तुएं,गैर-आवश्यक लेकिन व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पाद को शामिल किया गया है।

40% स्लैब कवरेज – जीएसटी 2.0 के तहत गैर-जरूरी, विलासितापूर्ण या हानिकारक माने जाने वाले उत्पादों पर **40%** की नई दर लागू की गई है जिसमें विलासितापूर्ण वाहन और उच्च श्रेणी की कारें, तंबाकू उत्पाद और वातानुकूलित/शर्करायुक्त पेय पदार्थ, ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी को शामिल किया गया है।

विशेष कर श्रेणियाँ – विशेष कर श्रेणियों के अंतर्गत कीमती धातुएँ, हानिकारक वस्तुएँ, तंबाकू, शराब, विलासिता की वस्तुएँ एवं प्रीमियम उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगेगा।

जी एस टी 2.0 में महत्वपूर्ण सुधार – इसके प्रमुख सुधार अग्रांकित है–

1. **रिटर्न दाखिल प्रक्रिया का सरलीकरण** – इससे अनेक प्रपत्रों के स्थान पर एकीकृत रिटर्न फार्म, लेनदेन डेटा के आधार पर पहले से भरे हुए फील्ड, रीयल-टाइम सत्यापन से त्रुटियों को रोकना संभव होगा ।
2. **मिलान सम्बन्धी विसंगतियों में कमी** – इससे आपूर्तिकर्ता - पूर्तिकर्ता का स्वचलित मिलान जो कि सिस्टम द्वारा जनरेट की गयी मिलान रिपोर्ट से आसानी से किया जा सकेगा एवं विसंगतियों की तत्काल सूचना से उनका त्वरित निराकरण होगा।
3. **तेज रिफंड प्रक्रिया** – जी एस टी 2.0 द्वारा सत्यापित दावों के निराकरण के लिए 15 दिन का समय के साथ डिजिटल भुगतान होगा।

जी एस टी में भविष्य में सुधार संभावनाएँ – कर संरचना के सरलीकरण के साथ दरों का युक्तिकरण व सक्षम प्रौद्योगिकी प्रणाली द्वारा जी एस टी में सुधार कर उसे सर्वव्यापक बनाया जा सकता है।

1. **प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग** – वर्तमान मे ए.आई. जैसी नवीन तकनीकी के उपयोग से आने वाली विभिन्न समस्याओं का त्वरित निदान संभव है। वस्तु व सेवा कर नेटवर्क पोर्टल के अधिक स्वचलित और सुधार प्रणाली से अनुपालन तंत्र में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
2. **कर दरों का युक्तिकरण** – जी.एस.टी. 2.0 के अंतर्गत कर स्लैब को सरलीकृत करते हुए दो स्तरीय संरचना 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की गयी। भविष्य में कर संरचना को अधिक सरलीकृत व तर्क संगत बनाया जाये ताकि यह कर प्रणाली अधिक संतुलित हो।
3. **अनुपालन में सुधार** – छोटे और मध्यम उद्यमों सहित सभी करदाताओं के लिए अनेक प्रपत्रों के स्थान पर स्वीकृत रिटर्न फॉर्म, प्री फील्ड रिटर्न, आसान पंजीकरण योजनाओं का समावेश किया जाये।
4. **नए क्षेत्रों का जी.एस.टी दायरे मे लाना** – वर्तमान में ईधन प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, जैसे उत्पादन जी.एस.टी. के दायरे से बाहर

है जिन्हे जी.एस.टी. के दायरे में लाने हेतु विचार किया जाना चाहिए।

5. **तीव्र रिफंड प्रक्रिया** – जी.एस.टी. के भविष्य के सुधार में दावा प्रक्रिया में तेजी, स्वचालित जोखिम मूल्यांकन एवं डिजिटल भुगतान तंत्र के समावेश से यह कर प्रणाली अपनी प्रभावशीलता में वृद्धि कर सकेगी।

6. **आर्थिक विकास को बढ़ावा** – जी.एस.टी. सुधार का अंतिम लक्ष्य भारतीय निवेश हेतु एक प्रतिस्पर्धी गतंव्य तैयार करना ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।

7. **एकीकृत बाजार का निर्माण** – भारतीय बाजार को एकीकृत बाजार बनाने एवं कर पर कर प्रभाव को खत्म करने व मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जी.एस.टी प्रणाली को विकसित किया जाये ताकि भविष्य में यह प्रभावी, पारदर्शी और सरलीकृत हो।

निष्कर्ष – जी.एस.टी. का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा लिये गये सर्वोत्तम निर्णयों मे से एक था तथा जी.एस.टी. में निरंतर सुधार व स्थायित्व से औद्योगिक जगत को अधिकतक लाभ मिलेगा। नवीन तकनीकी के अनुप्रयोगों ने इस कर प्रणाली की जटिलता को कम कर दिया है। साथ ही जी.एस.टी. 2.0 जैसे सुधार भी इस प्रणाली पर लोगों के विश्वास को कायम रखने की एक पहल है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Tax Mann's GST Law & Practice, CA (Dr.) Arpit Haldia, CA Mohd Salim.
2. वस्तु एवं सेवा कर डॉ. सुभाष गुप्ता नीलम नाहर, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 2022
3. माल और सेवा कर डॉ. एच.सी. मेहरोत्रा, प्रो. वी.पी. अग्रवाल, सहित्य भवन पब्लिकेशन, 2020
4. www.gst.gov.in
5. www.cbin.gov.in
6. www.gstouncil.gov.in

****